पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 380/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-30.12.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 30.12.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी हैः-

थाना-मेहनाजपुरः- प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने वाली 01 अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

आवेदिका सविता देवी पत्नी स्व0 हीरालाल यादव ग्राम कुरेहरा तेज सिंह थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्ता प्रमिला सिंह पत्नी जयप्रकास सिंह निवासी चौवाहा थाना केराकत जनपद जौनपुर द्वारा वादिनी को लालच देते हुए व रोगों को प्रार्थना से ठीक करने का लालच देते हुए धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया गया जिससे वादिनी द्वारा मना कर दिया गया। परन्तु दिनांक- 29-12-2024 को प्रमिला सिंह उपरोक्त द्वारा वादिनी के घर के सामने काफी लोगों को इकट्ठा करके बायबल पढ़ते हुए इसाई धर्म को बडा बताना तथा हिन्दू धर्म के देवी देवताओ के प्रति अपमान जनक टिप्पणी करते हुए लोगों को इसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। लिखित तहरीरी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 201/2024 धारा 299,353(2) बी0एन0एस0 व 3,5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 बनाम अभियुक्ता प्रमिला सिंह पत्नी जयप्रकास सिंह निवासी चौबाहे थाना केराकत जनपद जौनपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण :-

आज दिनांक 30.12.24 को उ0नि0 दीपक कुमार व उ0नि0 अजीज खान मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ता प्रमिला सिंह पत्नी जयप्रकाश सिंह निवासी ग्राम गंगोली चौबाहे थाना केराकत जनपद जौनपुर को चिल्लूपुर मोड से समय करीब 11.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 201/2024 धारा 299,353(2) बी0एन0एस0 व 3,5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरणः-

01. 07 अदद धर्मग्रन्थ बाइबल,
02. 01 अदद प्रार्थना कापी,
03. 01 अदद नया नियम भजन संहिता पुस्तिका,
04. 01 अदद बाइबल अंश पुस्तिका,
05. 01 अदद भजन संग्रह पुस्तिका

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

1. उ0नि0 दिपक कुमार थाना मेहनाजपुर ,आजमगढ़
2. उ0नि0 अजीज खान थाना मेहनाजपुर , आजमगढ़
3. का0 विनोद यादव थाना मेहनाजपुर आजमगढ़
4. म0का0 सरोज यादव थाना मेहनाजपुर आजमगढ़

02.थाना-बिलरियागंज:- चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त, चोरी के 01 गाय व 01 बछड़े के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 29.12.2024 को आवेदक विरेन्द्र यादव पुत्र विजयी यादव ग्रा0 हरखपुर पो0 पटवध कौतुक थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी की एक गाय व एक बछिया को वादी के घर से दिनांक 28/29.12.2024 की रात लगभग 02.00 बजे अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 447/24 धारा 303(2) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात चोर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

विवेचना के क्रम में आज दिनांक 30.12.2024 को उ0नि0 लवकुश कुमार मय हमराह देखभाल क्षेत्र रात्रि गस्त ड्यूटी में चेकिंग सन्दिग्ध व्यक्ति/वाहन, चेकिंग/तलाश वाछिंत अभियुक्त के दृष्टिगत जयराजपुर से बरामदपुर जाने वाले मार्ग पर ग्राम जयराजपुर में चेंकिग कर रहे थे कि सामने से एक चारपहिया वाहन मैजिक वाहन सं U.P. 54 T 4126 आते दिखायी दिया जिससे दो अभियुक्तों 1.चन्द्रशेखर पासवान पुत्र लालधर पासवान सा0 तोहफापुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 2. सत्यम राय पुत्र हरिकेश राय सा0 बरामदपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को 01 गाय व 01 बछड़े के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/317(5) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी व एक अन्य अभियुक्त आशीष राय पुत्र जगदीश राय सा0 हारीपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पूँछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बरामद गाय व बछडे के बारे में पूँछने पर बताया गया कि दिनांक 28/29 की रात्रि में ग्राम हरखपुर से चोरी किया गया था। चोरी की गाय व बछिया को सत्यम राय के घर छोडने जा रहा था कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1.चन्द्रशेखर पासवान पुत्र लालधर पासवान सा0 तोहफापुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

2.सत्यम राय पुत्र हरिकेश राय सा0 बरामदपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 447/24 धारा 303(2)/ 317(2)/317(5) बी0एन0एस0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1.उ0नि0 लवकुश कुमार मय हमराह थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

03.थाना-जीयनपुरः-दहेज हत्या में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 30.12.2024 को आवेदक अनुप कुमार पुत्र स्व फूलचन्द ग्रा0 बरगदिया थाना मोहम्दी जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी के बहन की शादी दीपक पुत्र राजेन्द्र निवासी मझौवा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के साथ हुयी है। वादी की बहन को उसके ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए प्रताडित किया जाता था जिससे क्षुब्ध होकर वादी की बहन द्वारा फाँसी लगाकर अपनी हत्या कर लिया गया। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 577/2024 धारा 85/80BNS व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम अभियुक्तों 1.दीपक पुत्र राजेन्द्र निवासी मझौवा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ (पति) 2.आशा पत्नी राजेन्द्र निवासी मझौवा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़(सास) 3.दीपक की बहन पुत्री राजेन्द्र निवासी मझौवा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरणः-

आज दिनांक 30.12.2024 को थानाध्यक्ष मुझ थानाध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों 1.दीपक पुत्र राजेन्द्र निवासी मझौवा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 2. आशा पत्नी राजेन्द्र निवासी मझौवा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को उनके घर के पास ग्राम मझौवा थाना जीयनपुर आजमगढ़ के पास से समय करीब 12.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1.दीपक पुत्र राजेन्द्र निवासी मझौवा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष

2. आशा पत्नी राजेन्द्र निवासी मझौवा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0स0 577/2024 धारा 85/80 BNS व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

01. थानाध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह थाना जीयनपुर आजमगढ़

<u>*04.थाना-कोतवाली:-सोशल मीडिया पर गाली-गलौज व अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार*</u>

<u>*पूर्व की घटना/इतिहास का संक्षिप्त विवरण:-*</u>

दिनांक 27.12.2024 को उ0नि0 विनय कुमार सहाय मय हमराह के साथ थाना स्थानीय से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र व शांति व्यवस्था ड्यूटी चेकिंग बैंक में मामूर होकर पाण्डेय बाजार तिराहा के पास पहुंचे तो जरिये मुखबिर सूचना मिली कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर (एक्स) पर कुछ व्यक्तियों द्वारा गाली गलौज एंव हत्या करने की धमकी भरे वार्तालाप को पोस्ट किया गया है जिससे जनता के लोगों में भय एंव संत्रास कारित हो रहा है। मुखबिर की सूचना पर उ0नि0 के द्वारा ट्विटर पर लिंक को खोलकर देखा गया तो 1.अमित यादव पुत्र शिवबदन यादव नि0 बैकुठधाम मंदिर के बगल में ब्रह्मस्थान थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ 2.रिशु सिंह पुत्र संजय सिंह नि0 उपरोक्त 3.मुकेश यादव पुत्र छोटे यादव नि0 देवपार थाना कन्धरापुर आजमगढ़ 4.मुकेश गिरी पुत्र मदन गिरी नि0 करतालपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा मुँह मे सिगरेट लगा कर पार्टी करने की बात कर रहे है तथा गंदी गाली देते हुये कह रहे है कि जिस दिन हम लोग इकट्ठा हो जायेगे ब्रह्मस्थान में कोई टिक नहीं पायेगा अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इस तरह पोस्ट किया जाने से जनता के लोगो में भय एंव संत्रास कारित हो रहा है। जनता के लोग आपस में उक्त पोस्ट के बारे में वार्तालाप कर रहे हैं। अभियुक्तों उपरोक्त का यह कृत्य अन्तर्गत धारा 353/352/351(3) *bns* का अपराध है। जिसके आधार पर दिनांक 27.12.24 को थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 676/24 धारा 353,352,351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

<u>*गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-*</u>

आज दिनांक 30.12.2024 को उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव, मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों 1. रिषु सिंह पुत्र संजय सिंह उम्र 26 वर्ष साकिन करतालपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ 2. मुकेश गिरि पुत्र मदन गिरी उम्र 24 वर्ष को ब्रह्मस्थान से समय करीब 11.00 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस